सत्यमेव जयते

| राजस्थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary |
|---|---|
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority |
| फाल्गुन 21, सोमवार, *शाके* 1945-मार्च 11, 2024<br>*Phalguna 21, Monday , Saka 1945- March 11 , 2024* | |

**भाग-1(ख)**

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

**जल संसाधन विभाग**

अधिसूचना

**जयपुर, मार्च 08, 2024**

**संख्या: 08/भू.अ./ज.स./2019/306-310**:- चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ धौलपुर लिफ्ट सिंचाई एंव पेयजल परियोजना में डिग्गीयों के एप्रोच रोड़ निर्माण हेतु जिला धौलपुर की तहसील राजाखेडा के गॉवों की भूमि को अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में सलग्न सूची अनुसार प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के नियम 6(8) की पालना सुनिश्चित करने हेतु **अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड द्वितीय धौलपुर** को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-3(जी) एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1(51) Rev - 6/2014/31 दिनांक 28.08.2015 के अन्तर्गत **उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा** सबंधित भूमि अवाप्ति अधिकारी होगे।

**<u>विवरण</u>**

अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड द्वितीय धौलपुर के अन्तर्गत धौलपुर लिफ्ट सिंचाई एंव पेयजल परियोजना में डिग्गीयों के एप्रोच रोड़ निर्माण हेतु जिला धौलपुर की तहसील राजाखेडा के गॉवों की अवाप्त की जाने वाली भूमि हेतु भूमि अर्जन पुनर्वास पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) की कार्यवाही बाबत् विवरण:

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | ग्राम का नाम | ग्राम पंचायत | तहसील | जिला | भूमि अवाप्ति अधिकारी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | मरैना | मरैना | | | उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा |
| 2 | | पाय | मरैना | | | |
| 3 | | पहाडी | मछरिया | | | |
| 4 | | ढौडकापुरा | हथवारी | | | |
| 5 | | नादोली | नादोली | | | |
| 6 | | सामलिया पुरा | नादोली | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | धौलपुर लिफ्ट सिचाई एवं पेयजल परियोजना धौलपुर | रहसैना | लालपुर | राजाखेडा | धौलपुर | |
| 8 | | सामोर | सामोर | | | |
| 9 | | शेखपुर गूजर | दिहोली | | | |
| 10 | | लालपुर | लालपुर | | | |
| 11 | | इन्द्रावली | दिहोली | | | |
| 12 | | फरासपुरा | फरासपुरा | | | |
| 13 | | गोलीपुरा | मरैना | | | |
| 14 | | सविता नगर | मछरिया | | | |
| 15 | | मछरिया | मछरिया | | | |
| 16 | | माधोपुरा | मछरिया | | | |
| 17 | | जारह | सदापुर | | | |
| 18 | | मिठावली | नागर | | | |
| 19 | | खुडिला का पुरा | नाहिला | | | |
| 20 | | गढी करीलपुर | नाहिला | | | |
| 21 | | सौमली | नागर | | | |
| 22 | | जरिहा नं 1 | राजाखेडा | | | |
| 23 | | मेहदवार नं 1 | राजाखेडा | | | |
| 24 | | दिघी | नाहिला | | | |
| 25 | | नीमडांडा | नाहिला | | | |
| 26 | | देवखेडा | देवखेडा | | | |
| 27 | | गढी जौनाबद | देवखेडा | | | |
| 28 | | बाबरपुर | देवखेडा | | | |

फार्म-2

(देखे-नियम-5)

पार्ट-बी

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगाः

| क्र. स. | परियोजना विकासकर्ता का नाम | कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड द्वितीय धौलपुर |
|---|---|---|
| (क) | प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र। | धौलपुर लिफट सिंचाई एवं पेयजल परियोजना (Dholpur Lift Irrigation cum drinking water project) निर्माण कार्य जिला धौलपुर के अन्तर्गत राजाखेडा तहसील में स्थित डिग्गियों की एप्रोच रोड हेतु 4.6725 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित है |

| | | |
|---|---|---|
| (ख) | सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्देश्य और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत: (i) परामर्श (ii) सर्वेक्षण (iii) सार्वजनिक सुनवाई/ सुनवाईयां भी दें। | परामर्श<br>सर्वेक्षण<br>सुनवाई |
| (ग) | यदि ग्राम सभा और/या भू-स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारे मे कथन किया जाना होगा। | अधिनियम की धारा 2(1) के अन्तर्गत लागू नही है। |
| (घ) | सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ अनेअचल परिणाम (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन) योजना विनिर्दिष्ट किए जाने होंगे। | अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया एवं समय के अनुसार |
| (ड) | इस अवधि के दौरान इस आशय का कथन कि प्रपीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकृत और शून्य हो जाएगी | हाँ |
| (च) | सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई से सम्पर्क करने संबंधी जानकारी। | कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड द्वितीय धौलपुर |

मुकेश कुमार गुप्ता,
**उप सचिव एवं प्रावै. सहा.,**
**वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,**
**राजस्थान, जयपुर।**

**राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।**